सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

बनाम

एस. सैमुअल एवं अन्य

9 नवंबर 1984

(ओ. चिन्नप्पा रेड्डी, ए.पी. सेन और ई.एस. वेंकटरमैया, जे.जे.)

व्यवहार और प्रक्रिया-न्यायाधीश को चैंबर में दिया गया मौखिक आवेदन- कोई लिखित आवेदन दायर नहींकिया गया- आदेश पारित- न तो तथ्य और न ही कानूनी कारणों का कोई प्रश्न आदेश में दिए गए – औचित्य।

चैंबर्स में बैठक- कब आयोजित की जानी चाहिए।

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्रतिवादी संख्या 1 होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की ओर से अपने कक्ष में दिए गए एक मौखिक आवेदन पर और 4 दिनों के भीतर एक लिखित आवेदन देने का मौखिक वचन देने पर एक अंतरिम आदेश जारी कर निर्देश दिया कि अपीलकर्ता के पक्ष में आयोजित शराब की दुकान की नीलामी के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें। उक्त आदेश में न्यायाधीश के समक्ष उठाए गए तथ्यों, कानून के प्रश्न, यदि कोई हो, और उन कारणों को संक्षेप में भी इंगित करने का कोई प्रयास नहीं किया गया, जिसने उन्हें ऐसा अंतरिम

आदेश देने के लिए प्रेरित किया। उक्त आदेश के बारे में जानकारी प्राप्त होने पर, अपीलकर्ता ने उच्च न्यायालय से संपर्क किया और जानकारी प्राप्त की कि अनुच्छेद 226 के तहत प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर बाद की रिट याचिका को 3.4.1984 को दोपहर 2.30 बजे आदेश के लिए लिया जाएगा। जब अपीलकर्ता के प्रतिनिधि और उनके वकील अदालत में इंतजार कर रहे थे, तो उन्हें पता चला कि इस मामले का उल्लेख विद्वान न्यायाधीश के कक्ष में किया गया था, जिन्होंने पहले स्थगन दिया था और मूर्तियों का आदेश दिया गया था और यथास्थिति को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया था। अपीलकर्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश को बताया कि वे अदालत में इंतजार कर रहे थे और उन्हें सूचित नहीं किया गया था कि इस मामले का उनके कक्ष में उल्लेख किया जाएगा और इसके मद्देनजर उन्होंने विद्वान न्यायाधीश से अपने आदेश पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया। लेकिन, जज ने ऐसा करने से इनकार कर दिया. इसके बाद अपीलकर्ता ने रिट अपील दायर की। प्रतिवादी नंबर 1 द्वारा दायर की गई रिट याचिका और अपीलकर्ता की रिट अपील पर एक डिवीजन बेंच ने एक साथ सुनवाई की, जिसने नीलामी को रद्द कर दिया और निर्देश दिया कि 19 अप्रैल 1984 को एक नई नीलामी आयोजित की जाए। उक्त आदेश से दुखी होकर, अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील दायर की थी।

अपील का निस्तारण करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

मौखिक आवेदन पर विचार करने और अंतरिम आदेश जारी करने का शायद ही कोई औचित्य है, जिसमें अदालत द्वारा दिए गए आदेश के कारणों के बारे में अदालत को जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया था, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया की अनुमति देना जिसके द्वारा बिना किसी लिखित याचिका के मौखिक आवेदन किए जा सकते हैं और अंतरिम आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं, बिना किसी हलफनामे के आरोपों के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में शपथ ली जा सकती है और अदालत के समक्ष कोई रिकॉर्ड नहीं रखे गए तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का बहुत गंभीर दुरुपयोग हो सकता है। इसलिए, यह न्यायालय किसी भी न्यायालय द्वारा परिणामी मामलों में उसके समक्ष बिना किसी रिकॉर्ड के मौखिक आवेदनों पर विचार करने की प्रथा पर अपनी अस्वीकृति व्यक्त करता है और मना करता है। (29 ई- जी)

(2) इस न्यायालय का अर्थ यह सुझाव देना नहीं है कि मौखिक आवेदन कभी नहीं किया जा सकता है। अक्सर किसी मामले की सुनवाई के दौरान औपचारिक प्रकृति के आवेदन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसे आवेदन की अनुमति पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दी जाती है। लेकिन ऐसे सभी मामलों में अदालत के पास पहले से ही मुख्य मामले या विवाद का अधिकार होता है और अदालत के समक्ष इससे संबंधित एक रिकॉर्ड होता है। फिर से, इस न्यायालय का अर्थ यह सुझाव देना नहीं है कि अन्य अत्यावश्यक मौखिक आवेदन कभी नहीं किए जा सकते। यदि तत्काल

अंतरिम आदेश अनिवार्य हैं, तो कम से कम बुनियादी तथ्यों और इसमें शामिल प्रश्नों को उजागर करने वाले आवेदनों पर जोर दिया जाना चाहिए। विस्तृत आवेदन बाद में दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। यदि मामला इतना अत्यावश्यक है कि लिखित आवेदन पर किसी भी आग्रह को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो न्यायाधीश को कम से कम अपने आदेश में उनके द्वारा बताए गए तथ्यों और उनके समक्ष की गई दलीलों को दर्ज करने में जिम्मेदारी और सावधानी बरतनी चाहिए। यह आवश्यक है कि ऐसा समसामयिक रिकार्ड हो। अन्यथा न्यायालय मुकदमें ही न्यायालय अभिलेख रहेंगे। (29 जी- एच; 30 ए- बी)

(3) चैंबर में बैठक तब आयोजित की जा सकती है जब दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व किया जाता है और बैठकें खुले तौर पर आयोजित की जाती हैं ताकि जनता के सदस्य, यदि वे भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें चैंबर में भी पहुंच मिल सके। चैंबर में मौखिक आवेदनों पर अंतरिम आदेश देने के लिए जब न्यायाधीश अन्यथा अन्य मामलों के लिए खुले अदालत में बैठ रहे हैं तो अदालतों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्षता पर गंभीरता से प्रतिबिंबित होगा और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करने का अप्रिय प्रभाव हो सकता है। सार्वजनिक सुनवाई अदालत के महान गुणों में से एक है, और इसलिए इस देश की अदालतों को सार्वजनिक रूप से न्याय करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा, यह जोखिम है कि न्याय भी रद्द हो सकता है। यह 'नीति के मामले के रूप में नहीं बल्कि कानून के

मामले के रूप में है कि किसी मामले की सुनवाई सीमित श्रेणी के मामलों को छोड़कर सार्वजनिक हो। इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उस नियम का उल्लंघन किया गया था। (31ई;एच; 32ए- बी)

नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य एवं अन्य. (1966) 3 एससीआर 744. और मैकफरसन बनाम मैक्फर्सन एयर 1936 पीसी 246 का उल्लेख किया गया है।

(4) मौजूदा मामले में न्यायालय ने 19 अप्रैल 1984 को पुनर्नीलामी आयोजित करने की अनुमति दी। चूंकि पुनर्नीलामी में उच्चतम बोली लगाने वाले ने नियमों के तहत आवश्यक समय पर आवश्यक राशि जमा नहीं की, इसलिए न्यायालय ने पुनर्नीलामी को रद्द कर दिया। जैसा कि अपीलकर्ता ने 30 लाख रुपये की राशि से दुकान को पट्टे पर लेने की पेशकश की और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। न्यायालय ने उस दिन से 10 दिनों के भीतर आवश्यक राशि जमा करने की शर्त पर अपीलकर्ता के पक्ष में पट्टा मंजूर कर दिया। (36बी; एफ-जी)

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4416/ 1984

कलकत्ता उच्च न्यायालय के एफ.एम.ए.टी. संख्या 992/1983 में के निर्णय और आदेश 4 अप्रैल, 1984 के से विशेष अनुमति द्वारा अपील

वसंता पाई, सुश्री. एस वैदालिंगम और पी जे जॉर्ज अपीलकर्ता की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से बीना गुप्ता।

के.जी.भगत अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल। प्रतिवादी की ओर से आर.एन. पोद्दार और एम.एन.कृष्णमणि।

इंटरवेंशन आवेदन में आवेदक के लिए आर. करंजावाला और मिस एम. करंजावाला।

के. परासरन, अति. जनरल और डी. एन. सिन्हा अदालत के अनुरोध पर।

न्यायालय का निर्णय चिन्नाप्पा रेड्डी, जे. द्वारा सुनाया गया।

(विचित्र और विचित्र), ऐलिस निश्चित रूप से हमारे ऊपर नाराज होती यदि वर्तमान मामले की शरारती स्थिति ऊसके ध्यान में आई होती। हम स्वीकार करते हैं कि यह स्थिति कलकत्ता ऊच्च न्यायालय द्वारा वर्षों से अपनाई जाने वाली एक अत्यंत विचित्र प्रक्रिया का अपरिहार्य परिणाम है, एक ऐसी प्रथा जिसके बारे में हमें यह कहते हुए खुशी हो रही है कि देश में कोई अन्य ऊच्च न्यायालय इस प्रथा का पालन नहीं करता है। जो सबसे हल्के शब्दों में कहें तो अस्वास्थ्यकर है और नुकसान और दुरुपयोग का कारण बन सकता है और एक ऐसी प्रथा है जिसे अब हम संविधान के अनुच्छेद 141 के तहत अपनी शक्तियों के प्रयोग में प्रतिबंधित करने का

प्रस्ताव करते हैं। जैसे ही हम तथ्यों को बताने के लिए आगे बढ़ेंगे अभ्यास, परिणाम और हमारा सिद्धांत स्वयं प्रकट हो जाएगा। हम कटसेट एक्ट में उल्लेख कर सकते हैं कि हमारे निमंत्रण के जवाब में विद्वान अटॉर्नी जनरल ने बहुत दयालुता से हमें संबोधित किया और वास्तव में सशक्त प्रस्तुतियाँ दीं। हम उनकी बहुमूल्य सहायता के लिए उनके आभारी हैं।

रंगत, अंडमान द्वीप समूह में शराब बेचने के अधिकार की नीलामी 15.2.84 को डिप्टी कमिश्नर, पोर्ट ब्लेयर द्वारा आयोजित की गई थी। बी.के. हरिवत ने सबसे अधिक बोली लगाई। मेसर्स समरैस ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड का कार्यालय पोर्ट ब्लेयर में है, विशेष अनुमति याचिका में हमारे समक्ष याचिकाकर्ता, नीलामी में भाग लेने वालों में से एक था, लेकिन एस. सैमुअल, पुत्र स्वामी दास पिल्लई, 12, कैथ्रल रोड, मद्रास, जो हमारे सामने पहले प्रतिवादी के रूप में शामिल थे, नीलामी में भाग लेने वालों में से एक नहीं थे। चूंकि बी.के. हरिवत ने नीलामी के नियम और शर्तों के खंड 14 के रूप में लाइसेंस शुल्क का पच्चास प्रतिशत जमा नहीं किया, इसलिए बिक्री की पुष्टि नहीं हुई और दुकान को फिर से नीलाम करना पड़ा। दूसरी नीलामी 28.3.1984 को आयोजित की गई थी। इस नीलामी में मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी थी। बोली कुल 25 लाख रूपये कि थी। नीलामी में एस सैमुअल ने भी हिस्सा लिया लेकिन उनकी बोली 17 लाख रुपये से कुछ ज्यादा ही

लगी। उच्चतम बोली लगाने वाले (मैसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड) ने क्रमशः 10,000, 2,50,000, और 9,90,000 रुपये की राशि 29.3.1984, 28.3.1984 और 29.3.1984 को जमा की। बिक्री की पुष्टि हो गई और दुकान मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को दे दी गई। लाइसेंस 1.4.1984 से 31.3.1985 की अवधि के लिए जारी करना था। इस बीच, 30.3.1984 को कलकत्ता में चीजें चली गईं। जब अदालत उस दिन के लिए शुरू होने वाली थी, श्री शंकरदास बनर्जी वरिष्ठ अधिवक्ता ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश (श्री न्यायमूर्ति पायने) से कहा कि वह अदालत शुरू होने के बाद न्यायाधीश के समक्ष उनके कक्ष में एक आवेदन दायर करना चाहते हैं। विद्वान न्यायाधीश ने स्वीकृति दे दी और एस सैमुअल होने का दावा करने वाले एक व्यक्ति की ओर से तदनुसार विद्वान अधिवक्ता सर्वश्री एस. डी. बनर्जी, अशोक कुमार गांगुली और के. के. बंधोपाध्याय ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कलकता उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को उनके कक्ष में पेश किया और निम्नलिखित शर्तों में एक पक्षीय आदेश प्राप्त किया:-

> "श्री एस. डी. बनर्जी के मौखिक आवेदन पर और अगले मंगलवार तक आवेदन स्थानांतरित करने के उनके वचन पर निम्नानुसार एक आदेश होगा।
>
> प्रतिवादियों को निर्देश दिया जाता है कि वे मध्य

अंडमान के रंगत में शराब की दुकान के संबंध में यथास्थिति बनाए रखें और 28.3.1984 को आयोजित कथित शराब नीलामी के आधार पर आगे न बढ़ें। यह आदेश अगले मंगलवार तक लागू रहेगा। सहायक रजिस्ट्रार(न्यायालय) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित एक सादी प्रति याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को दिया जाए।

एसडी/ आर. एन. पायने।"

तत्काल ध्यान देने योग्य उल्लेखनीय तथ्य यह है कि विद्वान न्यायाधीश के समक्ष कोई लिखित आवेदन नहीं किया गया था। विद्वान न्यायाधीश का आदेश एक मौखिक आवेदन पर दिया गया था और इसमें उन्हें बताए गए तथ्यों, उनके सामने उठाए गए कानून के प्रश्न, यदि कोई हो, और उन कारणों को संक्षेप में बताने का जरा भी प्रयास नहीं किया गया है, जिन्होंने उन्हें अंतरिम आदेश देने के लिए प्रेरित किया। उसने किया। कार्यवाही और अदालत के रिकॉर्ड से हम जो कुछ भी एकत्र कर सकते हैं वह यह है कि कुछ मौखिक आवेदन किया गया था, चार दिनों के भीतर लिखित आवेदन करने के लिए एक मौखिक वचन दिया गया था और अदालत द्वारा एक अंतरिम आदेश जारी किया गया था जिसमें पहले ही हो चुकी शराब की दुकानों की नीलामी को यथा स्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया था। आदेश में यह खुलासा नहीं किया गया है कि विद्वान

एकल न्यायाधीश को पता था कि बोली 25 लाख रुपये जैसी बड़ी राशि के लिए थी।आदेश दिए जाने तक कम से कम साढ़े बारह लाख रुपये जमा हो जाने थे और लाइसेंस 1.4.1984 से प्रभावी होना था। पहले से जमा की गई राशि का क्या होना था? 1.4.1984 से शराब की दुकान कौन चलाने वाला था? राजस्व और अन्य उत्तरदाताओं की सुरक्षा के लिए याचिकाकर्ता से क्या सुरक्षा ली गई थी? हमें आदेश से कोई संकेत नहीं मिला. वास्तव में आदेश में किसी भी परिणामी शरारत से किसी को बचाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया। और यह सब एक वकील द्वारा दिए गए मौखिक आश्वासन पर है कि एक याचिका उस पक्ष की ओर से दायर की जाएगी जिसका अस्तित्व अब हमें संदेहास्पद लगता है, जैसा कि हमें इसके बाद इंगित करने का अवसर मिलेगा। कोई भी रिकॉर्ड, कागज का एक टुकड़ा भी, उस समय अदालत में दाखिल नहीं किया गया था और किसी के द्वारा कोई समसामयिक रिकॉर्ड तैयार नहीं किया गया था जिसमें मौखिक आवेदन की नींव बनाने वाले सबसे अच्छे आरोप हों जो कि वास्तव में लगाए गये थे लिखित आवेदन जो कि दायर किया जाना था और अंतरिम आदेश जारी किया जाना था।वास्तव में अभिलेख न्यायालय के लिए पालन की जाने वाली सबसे विचित्र प्रक्रिया में ऐसी स्थिति जहां एक न्यायाधीश को गवाह बनना होगा यदि बाद में कोई विवाद उठता है कि आरोप क्या थे और न्यायाधीश ने आदेश क्यों दिया! श्री एस.एस. रे, जो मामले के कुछ चरणों में हमारे सामने उपस्थित हुए थे, ने हमें सूचित किया कि मौखिक आवेदनों

पर अंतरिम आदेश प्राप्त करने की इस प्रकृति की प्रथा, बाद में लिखित आवेदन दायर करने का प्रस्ताव देने के अधीन, कलकत्ता उच्च न्यायालय में हमेशा से प्रचलन में रही है। यह हमारे लिए बड़े आश्चर्य की बात थी कि न्याय की अदालत और उस पर, रिकॉर्ड की अदालत को इस तरह की प्रथा का पालन करना चाहिए था, विद्वान अटॉर्नी जनरल ने हमें सूचित किया कि इस तरह की प्रथा का पालन किसी अन्य उच्च न्यायालय में नहीं किया गया था और उन्होंने हमारे सामने इस तरह की प्रथा की सख्ती से निंदा करने वाले ठोस से ठोस कारण रखे, जिन कारणों से हमें समर्थन मिला। श्री लाल नारायण सिन्हा, पूर्व अटॉर्नी जनरल, जिन्होंने काफी लंबे समय तक पटना उच्च न्यायालय में वकालत की, जो आम तौर पर विरासत में मिली, अगर हम ऐसी अभिव्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं तो कलकत्ता उच्च न्यायालय की प्रथा और प्रक्रिया और जो सामनें भी उपस्थित रहे थे मामले की सुनवाई के दूसरे चरण में और जिनसे हमने सहायता मांगी थी और जिसके लिए हम उनके आभारी हैं, उन्होंने हमें बताया कि अपने लंबे अनुभव में उन्हें ऐसी किसी प्रथा के बारे में पता नहीं था और पटना में इस तरह की प्रथा का पालन कभी नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय हम स्वयं मद्रास, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान उच्च न्यायालय आदि में अपनाई जाने वाली प्रथा से व्यक्तिगत रूप से परिचित हैं और हम यह दावा कर सकते हैं कि इन न्यायालयों में ऐसी किसी प्रथा के बारे में नहीं सुना गया है। बंबई के कुछ वकील जो हमारे सामने

उपस्थित थे, उन्होंने भी हमें बताया कि उनके उच्च न्यायालय में ऐसी कोई प्रथा नहीं अपनाई जाती है। हमें इस बात में तनिक भी संदेह नहीं है कि, यदि यह प्रथा कहीं भी मौजूद है, तो यह सबसे अहितकर प्रथा है, जिसके दुष्ट और हानिकारक परिणाम होने की संभावना है। यह एक ऐसी प्रथा है जिसकी कड़ी निंदा की जानी चाहिए, यह एक ऐसी प्रथा है जो सामंती दिनों की याद दिलाती है जब फ्रांसीसी कुलीन लोग संप्रभु की मुहर के तहत बिना किसी मुकदमे के और बिना किसी कारण का उल्लेख किए किसी विषय के कारावास को अधिकृत कर सकते थे। जैसा कि हम जानते हैं, यह एक ऐसी प्रथा है जो खुले और समान न्याय प्रणाली की जड़ पर हमला करती है और जितनी जल्दी इसे छोड़ दिया जाए, न्याय प्रशासन के लिए उतना ही बेहतर होगा। हम अपनी अस्वीकृति व्यक्त करते हैं और किसी भी अदालत द्वारा परिणाम के मामलों में बिना किसी रिकॉर्ड के मौखिक आवेदनों पर विचार करने की प्रथा पर रोक लगाते हैं। हमारा यह सुझाव देने का तात्पर्य नहीं है कि मौखिक आवेदन कभी भी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता या उस पर विचार नहीं किया जा सकता। इसके विपरीत से बहुत दूर. उदाहरण के लिए, स्थगन के लिए सभी आवेदन आम तौर पर मौखिक रूप से दिए जाते हैं। अक्सर, किसी मामले की सुनवाई के दौरान औपचारिक प्रकृति के आवेदन करना आवश्यक हो जाता है और ऐसे आवेदनों को पीठासीन न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी जाती है, लेकिन ऐसे सभी मामलों में अदालत के पास पहले से ही मुख्य मामले या विवाद का

अधिकार होता है और अदालत के समक्ष इससे संबंधित एक रिकॉर्ड होता है। लेकिन हमें मौखिक आवेदन पर विचार करने और अंतरिम आदेश जारी करने का शायद ही कोई औचित्य दिखता है, जिसमें अदालत में जो कुछ भी प्रस्तुत किया गया था या अदालत द्वारा दिए गए आदेश के कारणों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। एक ऐसी प्रक्रिया की अनुमति देना जिसके द्वारा बिना किसी लिखित याचिका के मौखिक आवेदन किए जा सकते हैं और अंतरिम आदेश प्राप्त किए जा सकते हैं, बिना किसी हलफनामे के आरोपों के प्रथम दृष्टया सबूत के रूप में शपथ ली जा सकती है वो भी अदालत के समक्ष बिना कोई रिकॉर्ड रखे तो यह न्यायालय की प्रक्रिया का बहुत गंभीर दुरुपयोग हो सकता है। वास्तव में, हमने अतीत में ऐसे उदाहरण देखे हैं जहां कलकत्ता उच्च न्यायालय ने उन मामलों में क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया था जिनमें कार्रवाई के कारण का कोई भी हिस्सा उसके अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न नहीं हुआ था, एक ऐसी स्थिति जो निश्चित रूप से लिखित आवेदन होने और मौखिक नहीं होने पर उत्पन्न नहीं होती। फिर, हमारा यह सुझाव देने का मतलब यह नहीं है कि अन्य अत्यावश्यक मौखिक आवेदन कभी नहीं किए जा सकते। यदि किसी को कुछ ही मिनटों में निर्वासित किया जाने वाला है या यदि कोई अत्यंत अनुचित कृत्य किया जाने वाला है और किसी भी देरी के परिणामस्वरूप भयानक घटना हो सकती है, तो तत्काल मौखिक आवेदन दायर किए जा सकते हैं और तत्काल अंतरिम आदेश जारी किया जा सकता है।यदि तत्काल अंतरिम

आदेश अनिवार्य हैं, तो कम से कम कमजोर आवेदन खराब तथ्यों को उजागर करते है और इसमें शामिल प्रश्नों पर जोर दिया जाना चाहिए। विस्तृत आवेदन बाद में दाखिल करने की अनुमति दी जा सकती है। निश्चित रूप से एक अदालत उस पक्ष से लिखित में कुछ लेकर अधिक लाभप्रद स्थिति में होगी जो "भगवान जानता है कौन" के मौखिक निर्देशों के आधार पर मौखिक प्रस्तुतिकरण की तुलना में दिए गए बयानों की जिम्मेदारी ले सकता है। यदि मामला इतना अत्यावश्यक है कि लिखित आवेदन पर किसी भी आग्रह को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है, तो न्यायाधीश को कम से कम अपने आदेश में उनके द्वारा बताए गए तथ्यों और उनके समक्ष की गई दलीलों को दर्ज करने में परेशानी और सावधानी बरतनी चाहिए।यह आवश्यक है कि समसामयिक रिकार्ड हो। अन्यथा न्यायालय मुकदमें ही न्यायालय अभिलेख न्यायालय रहेंगे। आखिरकार किसी भी तस्वीर के हमेशा दो पहलू होते हैं। लिखित में याचिका के अभाव में, आदेशों के तथ्यों और कारणों के वर्णन वाले आदेश के अभाव में, प्रभावित व्यक्ति को क्या करना चाहिए? उसे किस आरोप का सामना करना पड़ेगा? वह आदेश के परिणामस्वरूप होने वाली शरारत और क्षति को कैसे रोक सकता है? क्या उसे याचिकाकर्ता की खुशी का इंतजार करना होगा जो अंतरिम आदेश प्राप्त करने के बाद स्वाभाविक रूप से अंतिम क्षण तक अपनी लिखित याचिका दायर नहीं करने में रुचि रखता है ताकि अंतरिम आदेश और शरारत के जीवन को बढ़ाया जा सके। कोई ऐसे मामले की

अच्छी तरह से कल्पना कर सकता है जहां एक पक्ष एक वकील को न्यायाधीश के समक्ष मौखिक आवेदन दायर करने का निर्देश देता है, एक अंतरिम आदेश प्राप्त करता है और कोई नियमित याचिका दायर किए बिना दृश्य से गायब हो जाता है। ऐसे आयोजन में अंडर टेकिंग का क्या महत्व है? इस मामले के तथ्य, जिसे हम वर्तमान में इंगित करेंगे इस तरह के दुरुपयोग का कारण बने।

स्ट्रेंजर-देन-फिक्शन कहानी को फिर से शुरू करने के लिए 30 मार्च 1984 को ही श्री के.के. बंदोपाध्याय, वकील, कलकत्ता ने उपायुक्त, जिला अंडमान, पोर्ट ब्लेयर को एक टेलीग्राम भेजा, उन्हें कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश के बारे में सूचित करने बाबत। उपायुक्त ने मेसर्स सैमेरियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन के बारे में विधिवत सूचित किया। सूचना मिलते ही मेसर्स सामारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि और उनके वकील 2.4.1984 को कलकत्ता गए। जहां उन्हें पुष्टि मिली कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश ने एक आदेश दिया था जैसा कि श्री के.के.बंधोपाध्याय ने अपने टेलीग्राम में दावा किया था। मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड ने 3.4.1984 को श्री न्यायमूर्ति पायने के समक्ष उपस्थित होने के लिए एक वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री शक्तिनाथ मुखर्जी को सूचित किया। सूचना यह थी कि 3.4.1984 को दोपहर 2.30 बजे रिट याचिका को आदेश के लिये उठाया जाएगा। जबकि

मेसर्स सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड के प्रतिनिधि और उनके वकील अदालत में इंतजार कर रहे थे, उन्हें पता चला कि श्री एस सैमुअल का प्रतिनिधित्व करने वाले वरिष्ठ वकील श्री भोला नाथ सेन ने श्री न्यायमूर्ति पायने के सामने उनके चैम्बर में इस मामले का उल्लेख किया था और यथास्थिति के आदेश को अगले आदेश तक बढ़ा दिया गया हैं। मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि और उनके वकील और अंडमान के उपायुक्त, जो सभी न्यायालय में प्रतीक्षा कर रहे थे, उन्हें यह नहीं बताया गया कि इस मामले का विद्वान न्यायाधीश के कक्ष में उल्लेख किया जाएगा। जैसे ही उन्हें यथास्थिति के आदेश जारी रहने के बारे में पता चला, उन्होंने श्री न्यायमूर्ति पायने से आदेश पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया लेकिन विद्वान न्यायाधीश ने ऐसा करने से इनकार कर दिया।

यहां एक क्षण के लिए अपनी कहानी को बाधित करते हुए, हम एक बार फिर उस अनोखी प्रक्रिया पर टिप्पणी करने के लिए बाध्य हैं जो मामले में अपनाई गई थी। हमें बताया गया है कि आवेदन को खुले न्यायालय के बजाय विद्वान न्यायाधीश के कक्ष में स्थानांतरित करने का कारण यह था कि श्रीमान न्यायमूर्ति पायने न्यायालय में मूल पक्ष में बैठे थे और इसलिए आवेदन को अपीलीय पर देना पड़ा। उनके चैंबर में पक्ष रखना पड़ा। हम यह समझने में असमर्थ हैं कि ऐसा क्यों होना चाहिए और खुली अदालत में आवेदन क्यों नहीं दिया जा सकता। चैंबर में बैठक तब

आयोजित की जा सकती है जब दोनों पक्षों का प्रतिनिधित्व हो और बैठक खुले तौर पर आयोजित की जाए ताकि जनता के सदस्य, यदि वे भाग लेना चाहते हैं, तो उन्हें चैंबर में भी पहुंच मिल सके। चैंबर में मौखिक आवेदन पर अंतरिम आदेश देने के लिए जब न्यायाधीश अन्यथा अन्य मामलों के लिए खुली अदालत में बैठ रहे हों तो यह अदालतों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया की निष्पक्षता को गंभीरता से प्रतिबिंबित करेगा और अदालतों में जनता के विश्वास को कम करने का अप्रिय प्रभाव हो सकता है। कभी-कभी जब कोई विद्वान न्यायाधीश डिवीजन बेंच या फुल बेंच में बैठता है, तो उसे व्यक्तिगत रूप से कुछ आवेदन करना पड़ सकता है, ऐसी स्थिति में चैंबर में आवेदन को स्थानांतरित करने के लिए हमेशा खुली अदालत में अनुमति मांगी जाती है, फिर रजिस्ट्रार एक विशेष सूची तैयार करता है, इसे नोटिस बोर्ड पर और न्यायाधीश के कक्ष के सामने लगाता है और बार एसोसिएशन को एक प्रति भी वितरित करता है। कुछ उच्च न्यायालयों में इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है और यदि ऐसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो ही हम खुले न्याय की उच्च परंपरा को कायम रख सकते हैं। सार्वजनिक सुनवाई अदालत के महान गुणों में से एक है, और इसलिए इस देश की अदालतों को सार्वजनिक रूप से न्याय करने की आवश्यकता होती है। अन्यथा, यह जोखिम है कि न्याय भी रद्द हो सकता है, जैसा कि स्कॉट बनाम स्कॉट् कोर्ट ऑफ जस्टिस में फ्लेचर- मौलटन एल.जे. द्वारा अत्यंत प्रशंसनीय ढंग से व्यक्त किया गया है, जो नागरिक

स्वतंत्रता के संरक्षक हैं, को चाहिए कि स्वयं अतिक्रमण के प्रति दोगुनी सतर्कता बरतें। यह नीति के मामले के रूप में नहीं बल्कि कानून के मामले के रूप में है कि किसी मामले की सुनवाई सीमित श्रेणी के मामलों को छोड़कर सार्वजनिक हो, जिनसे अब हमारा कोई लेना-देना नहीं है। इस मामले में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा इस नियम का उल्लंघन किया गया था।

आखिरकार न्याय प्रशासन किसी भी निजी पक्ष से ज्यादा जनता के लिए एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है, जनता को अदालत में उपस्थित होने और कार्यवाही और उसके आचरण को देखने का अधिकार है, उन बहुत ही दुर्लभ मामलों को छोड़कर जहां न्याय की उन्नति के लिए इसकी आवश्यकता होती है वह कार्यवाही कैमरे में रखी जाए। नरेश श्रीधर मिराजकर और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य में इस न्यायालय द्वारा इस प्रकार देखा गयाः-

> "यह अच्छी तरह से स्थापित है कि सामान्य तौर पर, अदालतों के समक्ष लाए गए सभी मामले, चाहे वे दीवानी, आपराधिक या अन्य हों, खुली अदालत में सुने जाने चाहिए। न्याय के स्वस्थ, उद्देश्यपूर्ण और निष्पक्ष प्रशासन के लिए खुली अदालत में सार्वजनिक सुनवाई निस्संदेह आवश्यक है। सार्वजनिक जांच और नजर के अधीन रखा गया मुकदमा

स्वाभाविक रूप से न्यायिक सनक या अनिश्चितता के खिलाफ एक जांच के रूप में कार्य करता है, और न्याय प्रशासन की निष्पक्षता, वस्तुनिष्ठता और निष्पक्षता में जनता का विश्वास पैदा करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करता है। न्याय प्रशासन में जनता का विश्वास इतना महत्वपूर्ण है कि इस व्यापक प्रस्ताव पर कोई दो राय नहीं हो सकती कि न्यायिक न्यायाधिकरण के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करते समय, अदालतों को आम तौर पर खुले में मामलों की सुनवाई करनी चाहिए और जनता को अदालत कक्ष में प्रवेश की अनुमति देनी चाहिए। जैसा कि बेंथम ने देखा हैंः

"गोपनीयता के अँधेरे में भयावह हित और हर रूप में बुराई पूरे जोरों पर है। केवल प्रचार के अनुपात में ही न्यायिक अन्याय पर लागू कोई भी जाँच प्रभावी हो सकती है। जहाँ प्रचार नहीं है वहाँ न्याय नहीं है। प्रचार ही एकमात्र उपाय है यह न्याय की आत्मा है। यह परिश्रम के लिए सबसे गहरी प्रेरणा है, और अनुचितता के विरुद्ध सबसे अधिक सुरक्षा प्रदान करती है। यह परीक्षण के दौरान न्यायाधीश को स्वयं रखता है (इस अर्थ में कि) प्रतिभूतियों की सुरक्षा प्रचार हैं। (स्कॉट बनाम स्कॉट)''

मैकफर्सन बनाम मैकफर्सन, (2) में न्यायिक समिति नें देखाः

(1) (1966) 3 एस.सी.आर. 744.

(2) एआईआर 1936 पीसी 246,

> "इसके अलावा, जनता की संभावित उपस्थिति अनिवार्य रूप से कार्यवाही में कुछ हद तक औपचारिकता लाती है। और औपचारिकता शायद गंभीरता का एकमात्र उपलब्ध विकल्प है, जिसके द्वारा, आदर्श रूप से सभी आयोजनों में ऐसी कार्यवाही को विशेषता दी जानी चाहिए। वह संभावित उपस्थिति कम से कम कुछ गारंटी है कि प्रक्रिया की एक निश्चित मर्यादा में होगी।
>
> ये कुछ ऐसे विचार हैं जिन्होंने उनके आधिपत्य को इस (तलाक) कार्रवाई के मुकदमे से जनता की अनुपस्थिति के बारे में नीचे के न्यायालयों की तुलना में अधिक गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया है। उनसे प्रभावित होकर उनके आधिपत्य ने इस उदाहरण में किए गए प्रचार के नियम पर अतिक्रमण को मानने के लिए प्रेरित महसूस किया है- अचेतन विचार यह था कि इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता था और अब जब इसका खुलासा किया गया है तो इसकी निंदा की जानी चाहिए ताकि दोबारा इसकी अनुमति

न दी जाए।"

प्रसंग को फिर से शुरू करने के लिए मैसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड ने तुरंत श्री न्यायमूर्ति एम.एम. दत्त और श्री न्यायमूर्ति अजीत कुमार सेन गुप्ताकी खंडपीठ के समक्ष लेटर्स पेटेंट के तहत एक रिट अपील दायर की। मामला दोपहर 3.45 बजे डिवीजन बेंच के समक्ष रखा गया। पार्टियों की सहमति से मैसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर रिट अपील और सैमुअल द्वारा दायर रिट याचिका दोनों को 4.4.1984 को उनके समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया था। बड़ी कठिनाई के साथ मेसर्स समारियास ट्रेडिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड उस स्तर पर रिट याचिका की एक प्रति प्राप्त करने में सक्षम हुआ, डिवीजन बेंच ने अंततः 4.4.1984 को ही रिट याचिका और रिट अपील दोनों का निपटारा कर दिया। डिवीजन बेंच का आदेश निम्नलिखित शब्दों में थाः-

> "पक्षों की सहमति से, हम अपील को दिन की सूची के रूप में मानते हैं। जैसा कि पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की है, हम रिट याचिका को भी दिन की सूची के रूप में मानते हैं।
>
> पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने और मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करने के बाद, हमारा

विचार है कि शराब की वेंडिंग के लिए जो नीलामी हुई है, उसे रद्द कर दिया जाना चाहिए। तदनुसार, हम नीलामी को रद्द करते हैं और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उप आयुक्त को निर्देश देते हैं कि पहले से ही प्रसारित नए नियमों और शर्तों के आधार पर एक नई नीलामी आयोजित कि जाए, जो कि रिट याचिका का अनुबंध है। नीलामी 19 अप्रैल, 1984 को सुबह 11 बजे पोर्ट ब्लेयर में डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में आयोजित की जाएगी। शराब दुकान की नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य 30,00000 (तीस लाख) रुपये निर्धारित है। यह स्पष्ट कर दिया जाए कि शराब दुकान की नीलामी की अवधि 22 अप्रैल 1984 से 31 मार्च 1985 तक होगी।

नीलामी से कम से कम पांच दिन पहले एक बार कलकत्ता में स्टेटमैन में और एक बार मद्रास में इंडियन एक्सप्रेस में विज्ञापन दिया जाएगा।

यदि तीस लाख रुपये की आरक्षित कीमत की बोली नहीं लगाई जाती है, तो उस स्थिति में, रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय को वचन देता है कि वह तीस लाख रुपये की आरक्षित कीमत पर लाइसेंस लेगा और उस स्थिति में

अपीलकर्ता यह वचन देता है। न्यायालय ने 21 अप्रैल 1984 के बाद शराब का कारोबार न करने का आदेश दिया और बोली में भाग लेने वाले अपने संबंधित अधिवक्ताओं को अपने साथ ले जाने के लिए स्वतंत्र होंगे।

अपीलकर्ता प्रशासन को अप्रैल महीने से 21 अप्रैल, 1984 तक के दिनों के लिए आनुपातिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके दौरान वह पहले से ही किए गए प्रस्ताव के आधार पर शराब का व्यवसाय करेगा जो कि रु. 25,00000 (पच्चीस लाख), एक वर्ष के लिए हैं। डिप्टी कमिश्नर को अपीलकर्ता को विवादित नीलामी हानि के संबंध में जमा की गई राशि और उन दिनों के लिए आनुपातिक लाइसेंस शुल्क वापस करने का निर्देश दिया जाता है, जिसके लिए वह अप्रैल महीने में 21 अप्रैल, 1984 तारीख तक कारोबार करेगा, ठीक उसी दिन जिस दिन अपीलकर्ता ने शराब बेचना शुरू किया। इसके अलावा, उपायुक्त अपीलकर्ता को 21 अप्रैल, 1984 तक शराब का कारोबार जारी रखने के लिए आवश्यक आदेश जारी करेगा।

उपरोक्त के आधारा पर अपील और रिट अपील का निपटारा किया जाता है। लागत के लिए कोई आदेश नहीं

होगा.

अपीलकर्ता रिट याचिका में लगाए गए आरोपों को स्वीकार नहीं करता है

सहायक रजिस्ट्रार (न्यायालय) द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित इस आदेश की सादे प्रतियां पार्टियों के विद्वान अधिवक्ताओं को दी जाएं।''

अगले दिन, आदेश को इस प्रकार संशोधित किया गयाः-

"इस मामले का उल्लेख दोनों पक्षों द्वारा एक लिपिकीय गलती को सुधारने के उद्देश्य से किया गया है। यह हमारे दिनांक 4 अप्रैल, 1984 के आदेश के संशोधन में निर्देशित है कि इस स्थिति में आरक्षित मूल्य 30,00000 (तीस लाख) रुपये है। बोली नहीं लगाई जाती है, उस स्थिति में, रिट याचिकाकर्ता इस न्यायालय को वचन देता है कि वह 30,00000 की आरक्षित कीमत पर लाइसेंस लेगा और उस स्थिति में, अपीलकर्ता इस न्यायालय को वचन देता है कि वह रंगत, मध्य अंडमान में 21 अप्रैल, 1984 के बाद मौजूदा लाइसेंस के अनुसार शराब का व्यवसाय नहीं करेगा। । यदि, हालांकि, 19 अप्रैल, 1984 को होने वाली नीलामी के अनुसार अपीलकर्ता को कोई नया लाइसेंस प्रदान किया जाता है, तो

अपीलकर्ता, बेशक, 31 मार्च, 1985 तक उस स्थान पर शराब का कारोबार कर सकेंगे।

हमारा आदेश दिनांक 4 अप्रैल, 1984 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित किया गया है और उक्त आदेश का शेष भाग कायम रहेगा।''

कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश से व्यथित मेसर्स. सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड ने विशेष अनुमति याचिका दायर की, जिसमें से वर्तमान अपील 11.4.1984 को उत्पन्न हुई। एक जॉर्ज जोसेफ ने प्रतिवादी नंबर 1, श्री सैमुअल के साथ लाभ के लिए काम करने का दावा करते हुए एक जवाबी हलफनामा दायर किया, जिसमें उनका पक्ष लेने का दावा किया गया था। प्रतिवादी संख्या 1 की 17.4.1984 को विशेष अनुमति याचिका की पहली सुनवाई में, श्री एस.एस. रे, वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से उपस्थित हुए। उस दिन, मेसर्स सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेडकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने हमारे सामने 16.4.1984 का एक हलफनामा पेश किया जो एस. सैमुअल का बताया गया है जिसमें उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने कभी भी किसी को कोई रिट याचिका उनकी ओर से कलकत्ता उच्च न्यायालय में दायर करने का निर्देश दिया था। यह हलफनामा कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश की नींव को ही नष्ट करता हुआ प्रतीत हुआ। हालाँकि हलफनामे की वास्तविकता पर श्री

जॉर्ज जोसेफ, जो अदालत में मौजूद थे और एस. सैमुअल की ओर से उपस्थित वरिष्ठ वकील एस.एस. रे ने विवाद किया था। उस स्थिति में हमने सभी पक्षों को नोटिस जारी करने का निर्देश दिया और जॉर्ज जोसेफ को अगली सुनवाई में हमारे सामने पेश होने के लिए बाध्य किया। हमने निर्देश दिया कि एस. सैमुअल अगली सुनवाई में हमारे सामने उपस्थित हों। हमने यह भी निर्देश दिया कि कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार पुनः नीलामी 19 अप्रैल, 1984 को आयोजित की जानी चाहिए, लेकिन बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए। 26 अप्रैल, 1984 को यह मामला दोबारा हमारे सामने आया। हमें बताया गया कि दोबारा नीलामी में 36 लाख 80 हजार रुपये की बोली लगी है। हमें यह भी बताया गया कि हमारे निर्देश के कारण कि बिक्री की पुष्टि नहीं की जानी चाहिए, 48 घंटों के भीतर जमा की जाने वाली राशि जमा नहीं की जा सकी। इसलिए, हमने उच्चतम बोली लगाने वाले को 30 अप्रैल, 1984 को या उससे पहले नियमों के तहत जमा की जाने वाली आवश्यक राशि जमा करने का निर्देश दिया। एस सैमुअल को नए नोटिस जारी किए गए और हमने रजिस्ट्री को नोटिस में यह उल्लेख करने का निर्देश दिया कि यदि सैमुअल अगली सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए तो उनकी गिरफ्तारी के लिए गैर- जमानती वारंट जारी किया जाएगा। हमने कलकत्ता उच्च न्यायालय में श्री एस. सैमुअल द्वारा दायर हलफनामा तैयार करने वाले वकील डॉ. डी.के. बनर्जी को भी 3 मई, 1984 को हमारे सामने पेश होने के लिए एक नोटिस जारी किया। जॉर्ज

जोसेफ हमारे सामने पेश होने के लिए बाध्य थे। उन्हें एक हलफनामा दायर करने का भी निर्देश दिया गया जिसमें मामले के उन सभी तथ्यों का जिक्र किया गया जो उनकी जानकारी में थे। 3 मई, 1934 को अगली सुनवाई में, हमें सूचित किया गया कि सुब्रमण्यम ने 26 अप्रैल, 1984 को हमें दिए गए वचन का उल्लंघन किया था कि वह 30 अप्रैल, 1984 से पहले नियमों द्वारा जमा की जाने वाली आवश्यक राशि जमा कर देंगे। इसलिए हमारे पास नीलामी को रद्द करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था सौभाग्य से याचिकाकर्ता, मैसर्स सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड ने 30 लाख रुपये की राशि के लिए दुकान को पट्टे पर लेने की पेशकश की और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन की ओर से उपस्थित अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। याचिकाकर्ता द्वारा उस दिन से 10 दिनों के भीतर आवश्यक जमा राशि जमा करने की शर्त पर हमारे द्वारा पट्टा स्वीकृत किया गया था।

7 अगस्त 1984 को, जॉर्ज जोसेफ हमारे सामने उपस्थित होने में विफल रहे, भले ही उन्होंने हमारे सामने उपस्थित होने के लिए एक बांड निष्पादित किया था। इसलिए, हमने 23 अगस्त, 1984 को हमारे सामने पेश होने के लिए उनके खिलाफ गैर- जमानती वारंट जारी करने का निर्देश दिया। श्री सैमुअल को भी अगस्त में हमारे सामने पेश होने के लिए बाध्य किया गया था। अगस्त 23, 1984 उस दिन, श्री के.के. बंदोपाध्याय ने हमारे समक्ष एक बयान दायर कर उन परिस्थितियों को स्पष्ट करने की

मांग की जिनके तहत वह श्री अशोक कुमार गांगुली की सहायता के लिए श्री न्यायमूर्ति पाइन के समक्ष उपस्थित हुए। वह श्री महितोष मजूमदार के चैंबर में काम करने वाले एक कनिष्ठ वकील हैं, जिनके कहने पर उन्हें श्री ए.के.गांगुलीकी सहायता करने के लिए कहा गया था। उन्हें बताया गया कि श्री एस.डी. बेनर्जीवरिष्ठ अधिवक्ता मौखिक आवेदन देंगे। उनकी मुलाकात लोगों के एक समूह से हुई, जिनमें से एक ने खुद को एस. सैमुअल बताया। श्री ए.के. गांगुली और श्री एस.डी. बनर्जी के साथ स्वयं को सैमुअल बताने वाले सज्जनद्वारा एक परामर्श दोपहर करीब सवा तीन बजे अदालत परिसर में बनर्जी की मौजूदगी में... उसी दिन आयोजित किया गया। इसके बाद श्री एस.डी. बनर्जी ने श्री न्यायमूर्ति पायने के अदालत कक्ष में प्रवेश किया और शाम 4.00 बजे माननीय न्यायाधीश के समक्ष एक असूचीबद्ध प्रस्ताव पेश किया। जब अदालत शुरू होने वाली थी श्री एस.डी. बनर्जी ने मौखिक आवेदन के माध्यम से माननीय न्यायाधीश से मामले को माननीय न्यायाधीश के कक्ष में स्थानांतरित करने की अनुमति मांगी। मंजूर कर ली गई और आवेदन शाम 4.10 बजे विद्वान न्यायाधीश के कक्ष में उनके समक्ष पेश किया गया। श्री ए.के. गांगुली और श्री के.के. बंद्योपाध्याय श्री एस.डी. बनर्जी के साथ उपस्थित हुए। उस शाम वह सज्जन जिन्होंने अपना नाम एस. सैमुअल बताया और दो या तीन अन्य लोग श्री के.के.बंद्योपाध्याय से मिले और उसके बाद वकील श्री एम. लाहिड़ी से एक रिट याचिका का मसौदा तैयार करने का अनुरोध किया। उन दोनों

ने रिट याचिका तैयार की और 3 अप्रैल,1984 को इसे दाखिल करने के लिए तैयार कर लिया। एस सैम्युअल ने उन्हें एक वकालतनामा भी सौंपा. 3 तारीख को, उक्त सज्जन शपथ आयुक्त के सामने उपस्थित हुए और कागजात विधिवत दर्ज किए गए क्योंकि श्री बंद्योपाध्याय के अनुसार 3 अप्रैल, 1984 को श्री न्यायमूर्ति पाइन मूल पक्ष में बैठे थे। मौखिक आवेदन विद्वान न्यायाधीश के कक्ष में प्रस्तुत किया जाना था। तदनुसार, वरिष्ठ वकील श्री बी.एन.सेन ने श्री लाहिड़ी और श्री बंद्योपाध्याय की सहायता से आवेदन दायर किया। बाद में मेसर्स सामरियास ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लिमिटेड की ओर से मामले का जिक्र डिवीजन बेंच के समक्ष कोर्ट में किया गया. श्री न्यायमूर्ति पायने के आदेश को निलंबित करने के लिए एक मौखिक प्रार्थना की गई थी। रिट याचिका और अपील दोनों को अगले दिन सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया गया।

जैसा कि हमने सोचा कि यह जरूरी है कि जॉर्ज जोसेफ हमारे सामने उपस्थित हों, हमने उनकी पेशी के लिए मामले को 23 अगस्त 1984 तक के लिए स्थगित कर दिया। 23 अगस्त 1984 को, जब मामला अगली बार उठाया गया, जॉर्ज जोसेफ अनुपस्थित रहे और 11 सितंबर, 984 को उनकी गिरफ्तारी और पेशी के लिए एक गैर- जमानती वारंट जारी किया गया। ऊपर, जॉर्ज जोसेफ अनुपस्थित रहे और 11 सितंबर 984 को उनकी गिरफ्तारी और पेशी के लिए गैर- जमानती वारंट जारी किया गया। श्री सैमुअल को भी 11 सितंबर, 1984 को अदालत में उपस्थित होने के लिए

बाध्य किया गया था। अब हमारे पास कलकत्ता बार के श्री एस.डी. बनर्जी, बी.एन. सेन, एम. मजूमदार और ए.के. गांगुली के हलफनामे भी हैं, जिनमें कलकत्ता उच्च न्यायालय में हुई कार्यवाही से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों की व्याख्या की गई है। उनके हलफनामे हमारे द्वारा बताए गए तथ्यों की पुष्टि करते हुए यह खुलासा करते हैं कि उनमें से कोई भी सैमुअल को व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था, क्योंकि वास्तव में कोई भी एक वकील से यह उम्मीद नहीं कर सकता है कि वह अपने प्रत्येक ग्राहक को व्यक्तिगत रूप से जानता हो। वे अन्य लोगों की तरह ही थे यदि किसी को इतनी सामान्य अभिव्यक्ति का उपयोग करने की अनुमति दी जा सकती है, तो उन्हें सिर्फ फंसानें के रूप में लिया जाता हैं। उनके हलफनामे केवल उस पर जोर देते हैं जो हमने पहले ही अदालतों के समक्ष परिणाम के मौखिक आवेदन करने की अवांछनीयता के बारे में कहा है, अदालत के रिकॉर्ड में अदालत में किए गए अभ्यावेदन का आधार बनने वाले तथ्यों की प्रामाणिकता की पुष्टि करने के लिए कुछ भी नहीं रखा गया है। जहां तक इस अपील का सवाल है, हमें अब कुछ नहीं करना है, हमने अब अपीलकर्ताओं के पक्ष में 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक के लिए शराब की दुकान का पट्टा मंजूर कर दिया है। हालाँकि, याचिकाकर्ता द्वारा सूचित किया गया कि यद्यपि उनके पक्ष में 1 अप्रैल, 1984 से 31 मार्च, 1985 तक 30 लाख रुपये की राशि के लिए पट्टे की पुष्टि की गई है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का प्रशासन उनसे 1 लाख रुपये की मांग कर

रहा है. 1 अप्रैल, 1984 के बाद कलकता उच्च न्यायालय के आदेशों के तहत शराब की दुकान चलाने के लिए कुछ दिनों के पट्टे के लिए प्रति वर्ष 25 लाख रुपये की राशि की गणना की गई। हम मांग का कोई औचित्य नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि स्वीकृत और पुष्टिकृत पट्टा 1 अप्रैल 1984 से 31 मार्च 1985 तक की संपूर्ण अवधि के लिए रु. 30 लाख रु. कि राशी पर जारी किया गया हैं। मांग वापस लेने का निर्देश दिया गया है। उल्लिखित शर्तों के तहत अपील स्वीकार की जाती है। हालाँकि, जॉर्ज जोसेफ को यह बताने के लिए एक नोटिस जारी किया जाएगा कि उनके द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन करने के लिए उन्हें अदालत की अवमानना के लिए प्रतिबद्ध क्यों नहीं किया जाना चाहिए। उसे हमारे सामने पेश करने के लिए गैर जमानती वारंट भी जारी किया जाएगा। चूंकि असली सैमुअल ने इस मामले में सभी जिम्मेदारी से इनकार कर दिया है और चूंकि हम नहीं जानते कि वह व्यक्ति कौन था जिसने कलकत्ता उच्च न्यायालय के समक्ष खुद को सैमुअल के रूप में प्रस्तुत किया था, इसलिए हम किसी के खिलाफ जुर्माना लगाने में असमर्थ हैं।

एम. एल. ए. तदनुसार अपील का निपटारा किया गया।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेन्स टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी संजय कुमार मीना (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।